श्री गंगानगर उर्बन कंपनी-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

बनाम

पूर्वनिर्धारित प्राधिकरण और अन्य

2 मई, 1997

[के. रामास्वामी और डी. पी. वाधवा, जे. जे.]

श्रम कानूनः

राजस्थान दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958:

धारा 28-ए-श्री गंगानगर शहरी सहकारी बैंक-श्रमिकों की सेवाओं को समाप्त करना औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष बहाली के लिए आवेदन न्यायाधिकरण द्वारा पुनर्स्थापना आदेश-आयोजित, बिना किसी सूचना के या उसके बदले में एक महीने के वेतन का भुगतान किए बिना श्रमिकों की सेवाओं को वितरित करने वाली बैंक की कार्रवाई शहरी सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा नियमों और धाराओं के नियम 20 को स्पष्ट रूप से अवैध मानती है।28-अधिनियम का ए डी विपरीत धाराओं में चलता है-बहाली का निर्देश सही है हालांकि, नहीं मजदूरी का भुगतान करने की आवश्यकता-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 11-डी; शहरी सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा नियम (राजस्थान)-आर. 20।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3616/1995

राजस्थान उच्च न्यायालय का दिनांकित निर्णय और आदेश 27-11-1995 एस. ए. सं. 863/1995

सुशील के. जैन अप्पेलेंट की ओर से।

पी पी जुनेजा प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

अनुमति दी गई ।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले से उत्पन्न होती है, जो 27 नवंबर, 1995 को डी. बी. सिविल विशेष अपील संख्या 863/95 में दी गई थी ।

स्वीकृति स्थति स्थति यह है कि श्रमिकों की संख्या दस थी 1992 में नियुक्त।श्री अशोक कुमार प्रतिवादी संख्या दो मामले की सेवाओं जिसे 7 अगस्त, 1990 को नियुक्त किया गया था, को 5 जून, 1992 को हटा दिया गया था।उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी-2) (संक्षेप में, 'आई. डी. अधिनियम') के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें धारा 33 (सी-2) के तहत ऐसी शक्ति उपलब्ध है, लेकिन न्यायाधिकरण के पास आई. डी. अधिनियम की धारा 11-ए के तहत इस तरह का निर्देश देने की शक्ति है । राजस्थान दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (संक्षेप में,

'अधिनियम') के अध्याय VI के तहत 28-ए का परिणाम-ए सेवा की बर्खास्तगी, निर्वहन और समाप्ति से संबंधित है जो निम्नानुसार हैः

"28-नियोक्ता द्वारा बर्खास्तगी या निर्वहन की सूचना (1) कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को जो बर्खास्त या निर्वहनि वनि कसी उचित कारण को छोड़कर कम से कम छह महीने की अवधि से लगातार और ऐसे कर्मचारी को कम से कम एक महीने का पूर्व नोटिस देने के बाद या ऐसे नोटिस के बदले में उसे एक महीने का वेतन देने के बाद उसे अपने रोजगार से बर्खास्त करेगा:

बशर्ते कि ऐसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी जहां - ऐसे कर्मचारी की सेवाओं को ऐसे कदाचार के लिए प्रदान किया जाता है, जिसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया जा सकता है और निर्धारित तरीके से इस उद्देश्य के लिए आयोजित जांच में दर्ज संतोषजनक साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाता है।

औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निष्कर्ष कि यह वाणिज्यिक संस्थान है । यह है कि यह राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के तहत बनाए गए शहरी सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा नियमों (संक्षेप में, 'नियम') नियम 20 (d) है, जो इस प्रकार प्रदान करता हैः

नियम 20 (डी):एक कर्मचारी की सेवा जिसकी नियुक्ति केवल एक निर्दिष्ट अवधि या तिथि तक की गई है या बढ़ाई गई हैउस अवधि या

तिथि की समाप्ति पर स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है और ऐसे कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति के लिए किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

उपरोक्त प्रावधानों का एक संयुक्त पठन इंगित करता है कि धारा 28- ए अधिनियम का ए और नियमों का नियम 20 पारस्परिक रूप से विपरीत चलता है । 28-ए में यह परिकल्पना की गई है कि कोई भी नियोक्ता किसी ऐसे कर्मचारी को, जो कम से कम छह महीने की अवधि के लिए इस तरह के रोजगार में रहा है, एक उचित को छोड़कर, अपने रोजगार से बर्खास्त करेगा । प्रावधान यह भी है कि ऐसे कर्मचारी को कम से कम एक महीने का पूर्व नोटिस देने के बाद या ऐसे बदले में उसे महीने का वेतन देने पर अभिनिर्धारित करता है कि नियोक्ता को भी कदाचार के लिए कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति होगी और इस तरह के कदाचार की जांच उस ओर से बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी और के लिए आयोजित जांच में दर्ज संतोषजनक साक्ष्य द्वारा समर्थित होगी। निर्धारित तरीके से उद्देश्य।

इस प्रकार, एक कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए नियोक्ता के लिए दो पाठ्यक्रम खुले हैं- एक महीने की पूर्व सूचना जारी करके या एक महीने की मजदूरी का भुगतान करके सेवाओं को समाप्त करना है। इस तरह के बदले में अधिक है, सेवाओं को के लिए एक उचित के साथ वितरित किया जा सकता है अन्य विकल्प यह है कि एक कर्मचारी

की सेवाओं को कदाचार के प्रमाण पर वितरित किया जा सकता है, जब उचित जांच के बाद साक्ष्य को जोड़ने और उसके आधार पर एक निष्कर्ष की रिकॉर्डिंग की परिकल्पना की जाती है, निर्धारित तरीके से जांच की जाती है और निर्णय लिया जाता है कि इस मामले में, ऐसा कोई पाठ्यक्रम behalf.In नहीं था, नियमों का नियम 20 निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद एक कर्मचारी की सेवाओं की स्वचालित समाप्ति को अभिनिर्धारित करता है, अधिनियम धारा 28- ए में इंगित तरीके को छोड़कर । यह स्वीकृत तथ्य है कि आप्लांट द्वारा इस तरह का कम नहीं उठाया गया । परिणामस्वरूप आप्लांट का कृत्य बिना नोटिस दिए बिना व एक मह के वेतन दिए बिना गैरकानूनी है पु: नियोजन का आदेश सही है हालांकि कोई का वेतन देय नहीं होगा है।

अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है, कोई लागत नहीं।

आर. पी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता मयंक चौधरी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।